प्रेषक,

विजय बहादुर वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 22 अप्रैल, 2020

विषयः- **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संचालन हेतु वित्तीय स्वीकृति ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पत्रांक-5260/एनआरएलएम/बजट/2020-21, दि0-16.04.2020 के क्रम में अवगत कराना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-13 के अन्तर्गत रू0-80654.96 लाख बजट की व्यवस्था की गई है। योजनान्तर्गत 60 प्रतिशत केंद्रांश एवं उसके सापेक्ष 40 प्रतिशत राज्यांश (के.60+रा.40) की व्यवस्था है।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक-जे-12036/01/2020-आरएल(एनआरएलएम-16 ए), दि0-10.04.2020 द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश की **धनराशि रू0-132,32,64,000.00 (रूपये एक अरब बत्तीस करोड बत्तीस लाख चौसठ हजार मात्र)** की स्वीकृति प्रदान करते हुए आयुक्त, ग्राम्य विकास के निर्वतन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) आंकडों की शुद्धता का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जाएगा।

(2) प्रश्नगत धनराशि का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृत किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

(3) धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषयक गाइड लाइन/दिशा निर्देश तथा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा-निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा तथा स्वीकृत की गयी धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व धनराशि के सदुपयोग का परीक्षण/सत्यापन का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को गाइड लाइन में निर्धारित व्यवस्थानुसार समायोजन/व्यय करने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

2/-

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

1- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि से यथावश्यकता सामग्री, उपकरण आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

(7) स्वीकृति जारी करने के पूर्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ है/हो रहा है।

(8) योजनाओं हेतु प्राविधानित धनराशि को स्वीकृत कर पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं किया जाएगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार के पत्र दि0-10.04.2020 में अंकित दिशा-निर्देशों/शर्तों का पूर्णत: अनुपालन किया जाएगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-1/2020/बी-1-149/दस-2019-231/2019, दि0-24 मार्च, 2020 व अन्य संगत शासनादेश दिनांक 07.04.2020 एवं 11.04.2020 में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए उसके अनुसार कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-13 के लेखाशीर्षक "2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-02-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-0201-स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना(जिला योजना)(के.60/रा.40-के.+रा.)-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय सं0-यू0ओ0-ई-2-394/दस-2020, दि0- 21 अप्रैल,2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
(विजय बहादुर वर्मा)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय (स्किल डिवीजन), नई दिल्ली।
4- निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य लेखा परीक्षाधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6- मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, गोमती नगर, लखनऊ।
7- अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- ग्राम्य विकास अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4
10- गार्ड फाइल

आज्ञा से,
(विजय बहादुर वर्मा)
संयुक्त सचिव ।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

1- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।